जावक क्रमांक : 1387 दिनांक : 25/7/08

XXX-Part–21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक वि. सं. 8571

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर्यन वेलफेयर कमेटी समिति जो विश्वनाथ भवन, नेहरू पार्क रोड, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 25/7/2008 को पंजीयित की गई है।

दिनांक पच्चीस माह जुलाई सन् 2008

(अजय चौबे)
समितियों के रजिस्ट्रार

प्रारूप क्रमांक — 1

नियमावली

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र

(देखिए नियम-3)

1. समिति का नाम "श्री आर्यम वेलफेयर कमेटी" होगा।
2. संस्था का कार्यालय विश्वनाथ भवन मोहल्ले का नाम नेहरू पार्क रोड़ सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र सरगुजा छत्तीसगढ़ होगा।

संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे

1. आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रशार हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना।
2. वर्तमान शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाते हुए बुनियादी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
3. भारतीय विशुद्ध वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं समाज में व्याप्त धार्मिक कुरीति कुरिवाज को परिहार करना कर्मकाण्ड एवं अन्ध विश्वास से लोगों को जागृत कराना।
4. स्वास्थ्य सुधार के लिए औषधालयों, योगाश्रमों की स्थापना करना ।
5. शिक्षित बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार प्रबंधन हेतु जानकारी उपलब्ध कराना एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं को कार्यान्वय हेतु सहयोग करना।
6. वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, धर्मशालाओं की स्थापना करना एवं अंध, मूक, बधिर, विकलांग व मानसीक रूप से पीछड़े हुए लोगों को नई दिशा प्रदान करना।
7. राष्ट्रिय एकता व अखण्डता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए समस्त प्रकार के कार्य करना।
8. लोगों की बहुमुखी विकास हेतु ऐसे कार्य करना जिनका उदेश्य विधि अनुकुल हो।

सत्य प्रतिलिपि

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका का उल्लेख निम्नांकित है :

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पुरा पता	उपजिविका
1.	श्री राजेश द्विवेदी	श्री विश्वनाथ द्विवेदी	नेहरू पार्क रोड़ सूरजपुर	धार्मिक व्याख्याता
2.	श्री केशव प्रसाद शर्मा	श्री कृष्णा प्रसाद	नेहरू पार्क रोड़ सूरजपुर	शिक्षक
3.	श्री दिपेश दुबे	श्री राधेश्याम दुबे	[illegible] भैयाथान	साहित्य प्रकाशक
4.	श्री सुदर्सन प्याकुरेल	श्री [illegible]नाथ	श्रीपालपुर, सूरजपुर	शिक्षक
5.	श्रीमती माया दुबे	श्री राजेश दुबे	नेहरू पार्क रोड़ सूरजपुर	गृहणी
6.	श्रीमती कोपिला शर्मा	श्री केशव प्रसाद	नेहरू पार्क रोड़ सूरजपुर	गृहणी
7.	श्री लाल साय	श्री भगत प्रसाद राजवाड़े	श्रीनगर	कृषक

Kopila

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

04AA 062424

R - 8571
25/7/08
श्री आर्यन कोलब्रेयर
कुमेरी सूरजपुर
जिला सरगुजा

पंजी. / 4099
23/12/08

नियमावली

1. समिति का नाम "श्री आर्यन व्हेलफेयर कमेटी" होगा।
2. संस्था का कार्यालय विश्वनाथ भवन मोहल्ले का नाम नेहरू पार्क रोड सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र सरगुजा छत्तीसगढ़ होगा।
4. संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे –

सत्य प्रतिलिपी

1. आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रशार हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना।
2. वर्तमान शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना तथा बुनियादी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
3. भारतीय विशुद्ध वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं समाज में व्याप्त धार्मिक कुरीति कुरिवाज को परिहार करना कर्मकाण्ड एवं अन्ध विश्वास से लोगों को जागृत कराना।
4. स्वास्थ्य सुधार के लिए औषधालयों, योगाश्रमों की स्थापना करना।
5. शिक्षित बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार प्रबंधन हेतु जानकारी उपलब्ध कराना एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं को कार्यान्वय हेतु सहयोग करना।
6. वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, धर्मशालाओं की स्थापना करना एवं अंध, मूक, बधिर, विकलांग व मानसीक रूप से पीछड़े हुए लोगों को नई दिशा प्रदान करना।
7. राष्ट्रिय एकता व अखण्डता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए समस्त प्रकार के कार्य करना।
8. लोगों की चहुमुखी विकास हेतु ऐसे कार्य करना जिनका उदेश्य विधि अनुकुल हो।

5. **सदस्यता** – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे –

(अ) **संरक्षण सदस्य** – संस्था को दान के रूप रूपये. 800/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य** – जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 350 या उससे अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये. 500 या उससे अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

हेरंब Kopila दीनदयाल

(स) **साधारण सदस्य** — जो व्यक्ति रूपये 20 माह रूपये 240 प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए वह चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे को राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य** — संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जा भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार नही होगा।

(6) **सदस्यता की प्राप्ति** — प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बननें का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7). **सदस्यों की योग्यता** — संस्था का सदस्य बननें के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है —

सत्य प्रतिलिपि

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो
(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा का हो (4) सदसरित्र हो तथा मघपान न करता हो।

(8) **सदस्यता की समप्ति** — संस्था का सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी —

(1) मृत्यु हो जाने पर। (2) पागल हो जाने पर। (3) संस्था को चन्दे की रकम नियम 5 में बताए अनुसार जमा न करने पर। (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। (5) चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति क निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

(9) **संस्था कार्यालय में सदस्य पूँजी रखी जावेगी जिसमें निम्न व्योरे दर्ज किये जावेंगे —**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय तथा तिथि सहित हस्ताक्षर।
(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर।

(10) (अ) **साधारण सभा** — साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा का बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी जिसका माह मई होगा। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के अंदर बुलाई जायेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारीयों का विधिवत् निर्वाचन किया जायेगा, यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता हो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा** — प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों को होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) **विशेष** — यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाएं विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी।विशेश संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प के प्रति बैठक पंजीयक की संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार रहेगा।

Kopila

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य –

(क) संस्था के पिछले वर्ष या वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबंधकारिणी का गठन — ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे, नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंध कारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल — प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक की नई प्रबंध कारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

सत्य प्रतिलिपि

(14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य —

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परिक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारसण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भूगतान करना। संस्था की चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों / शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौपे जांए।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा आजत या आन्तिरित नही कर सकेगा।

(15) अध्यक्ष के अधिकार — अध्यक्ष साधारणय सभा तथा प्रबंध्कारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सीमा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार — अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकें की उध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार –

(1) साधरण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख्य प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरिक्षण करना व अनिमित्ता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 1000 करने का अधिकार होगा।

(18) सं. सचिव के अधिकार — सचिव के अनुपरिथति में सं. सचिव कार्य करेंगे।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार — समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

Kafila

(20) बैंक खाता — संस्था की समस्त निधि किसी अनुसुचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 500 रहेंगे।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी — अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची शुल्क सहित फाईल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत प्रति वर्ष 31 जुलाई तक संस्था की परीक्षित लेखा शुल्क सहित भेजेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

(22) संशोधन — संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकर पंजीकर फर्म्स एवं संस्थाऐ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव नियत शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

(23) विघटन — संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(24) सम्पत्ति — संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी। एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी। जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

सत्य प्रतिलिपि

(25) बैंक खता — संस्था की समस्त निधी किसी अनुसुचित बैंक या पोस्टआफिस में डाला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(26) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना — संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाये जाने पर अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

(27) विवाद — संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो व रजिस्ट्रार की और विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के अनुसार अथवा प्रबंधन समिति के विवाद उत्पन्न हाने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(क) जो सदस्य वार्षिक चन्दे की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नहीं करेगा तो उसको वर्ष समाप्ति के चार माह के अन्दर चन्दे की रकम अदा करने पर 30 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना पड़ेगा।

(ख) जो सदस्य मासिक चन्दे की रकम को निश्चित अवधि में अदा नहीं करेगा तो उसको तीन माह के अन्दर 25 प्रतिशत अधि रकम के साथ अदा करना होगा।

(ग) वार्षिक या मासिक चन्दा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक निस्चित अवधि के बाद लगातार चन्दा नहीं दे तो ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

(घ) सदस्य द्वारा निस्चित अवधि के पश्चात लगातार छः माह तक चन्दा नही देने पर ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। उक्त नोटिस के बवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य का नाम काटने की निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(ङ) प्रबंधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर यह संतोष हो जाए की कोई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरित कार्य कर रहा है यह नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति के सम्पत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो तो ऐसी स्थिति में सदस्य को सदस्यता समाप्त करने के संबन्ध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

दिनांक 6/7/08 द्वारा किया गया आवेदन
पंजीयन क्र. 8571 ....दिनांक 25.7.08
द्वारा पंजीकृत क्र. संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जारी की गई

Kapila

अध्यक्ष
फर्म्स एवं संस्थाएँ
बिलासपुर संभाग
बिलासपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

04AA 062423

R- 8571

25/7/08

श्री आर्यन व्हेलफेयर कमेटी सूरजपुर जिला सरगुजा

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग
बिलासपुर

कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

क्रमांक/ रि. 8620/08 बिलासपुर दिनांक 22/10/08

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव
श्री आर्चन वेलफेयर कमेटी
नेहरू पार्क रोड
सूरजपुर सरगुजा

विषय :- अधिनियम की धारा 27 के संबंध में।

संदर्भ :- आपकी ओर से प्राप्त पत्र / जानकारी दिनांक 13/10/08

---0---

संस्था श्री आर्चन वेलफेयर कमेटी पंजीयन क्रमांक 8571 दिनांक 25/7/08 पर पंजीयक है, जिस पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित नियम 1998) के समस्त प्रावधान प्रभावशील हैं।

संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 8/8/08 की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 13/10/08 को प्रस्तुत की गयी है। उक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत संलग्न कार्यकारिणी सूची में निम्नांकित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नामों का उल्लेख है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री केशव प्रसाद शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री राजेश द्विवेदी	उपाध्यक्ष
3.	श्री सुदर्शन त्याकुरेला	सचिव
4.	श्रीमती कोपिला शर्मा	कोषाध्यक्ष
5.	श्री दीपेश दुबे	संयुक्त सचिव
6.	श्रीमती माया दुबे	सदस्य
7.	श्री लाल साय	सदस्य

22/10/08

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग

(7

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

04AA 354072

समितियों के सहायक पंजीयक बिलासपुर संभाग

R.No. 8571
25/7/08

(आर. आर. राजभानु)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग

कार्यालय – श्री आर्यन वेलफेयर कमेटी
नेहरू पार्क रोड सूरजपुर जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

प्रति,

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय,
जिला शिक्षा कार्यालय सूरजपुर
जिला– सूरजपुर (छत्तीसगढ़).

-:: पारित – प्रस्ताव ::-

विषय – समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत विदित हो कि दिनांक– 25.6.2011 को पंजीयन समिति श्री आर्यन वेलफेयर कमेटी का आम बैठक का कमेटी – कार्यालय में आयोजन किया गया । सर्वसम्मति से सभी सदस्यों शैक्षणिक सत्र 2011–2012 में कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं की कक्षायें खोलने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

एतद् द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया ।

प्राचार्य / Principal
Global Public High School
Surajpur (C.G.)
जिला– सूरजपुर छ.ग.

सचिव / SECRETARY
Sri Aryan Welfare Committee
Surajpur (C.G.)
जिला सूरजपुर छ.ग.

President
Sri Aryan Welfare Committee
Nehru Park Road, Surajpur
Distt. Surajpur (C.G.)
अध्यक्ष आर्यन वेलफेयर कमेटी
सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0.

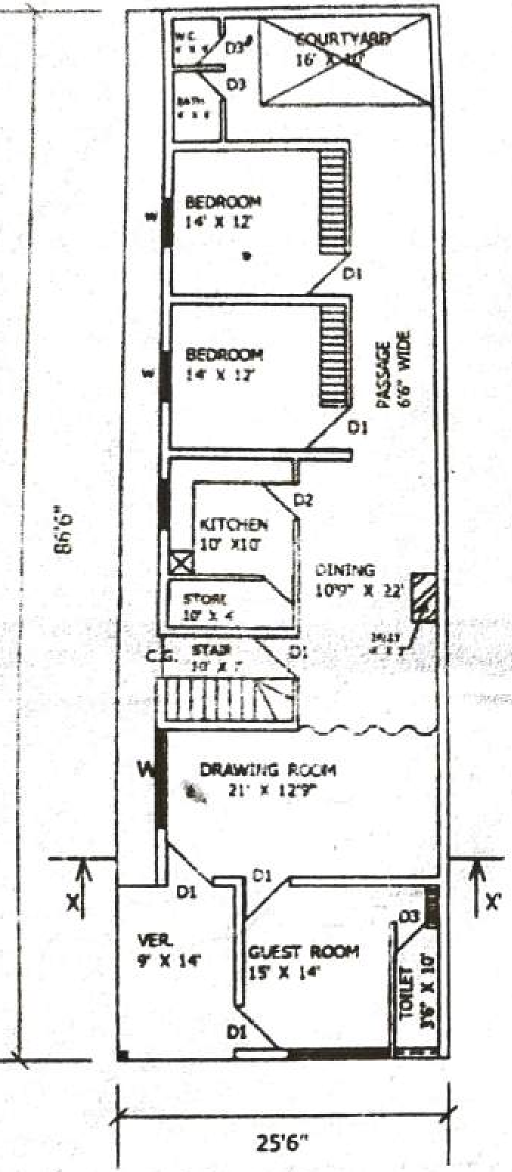

PLAN

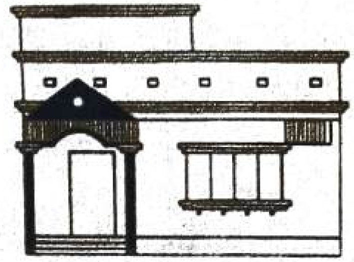

ELEVATION

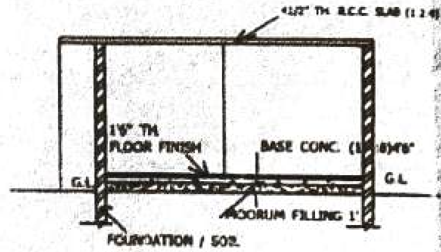

SECTION XX'

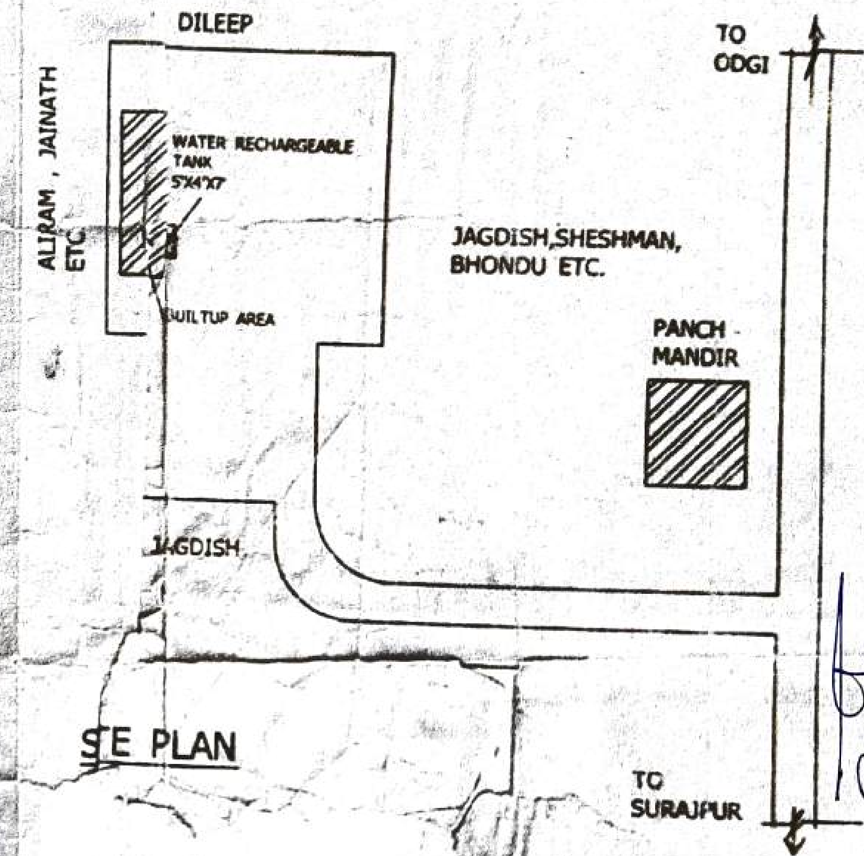

SITE PLAN

DRAWING OF PROPOSED RESIDENCE OF (1) ... PRAD
PYAKUREL SHARMA S/O SHRI KRISHNA PR... ... SHARMA (2)
SMT. HARIMAYA SHARMA W/O SHRI KRISH...
SHARMA AND (3) MUKUND NIROULA S/O SH... ...LA AT
GOPALPUR , SURAJPUR , SARGUJA (C.G.)
KH.NO.-1308 (AREA-0.421 Ha.)
KH.NO.-1309 (AREA-0.247 Ha.)
TOTAL AREA -0.668 Ha.
or 72,745.2 SFt.
BUILTUP AREA - 2206 SFt.

अनुमोदित कृत्रिम

कार्यालय नगर पंचायत सूरजपुर जिला-सरगुजा

STONE HOUSE
(Architects, Engineers & Valuers)
SURAJPUR
ARCHITECTS

PRINCIPAL
Global Public Hr.Sec.School
Surajpur (C.G.) 497229

3/4/4

GLOBAL PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL, SURAJPUR

BHAIYATHAN ROAD, SURAJPUR DIST. - SURAJPUR (C.G.)

SCHOOL CODE : 742026 **UDISE CODE : 22271403913**

TEACHER'S LIST- 2020 - 21

S. No.	Teacher's Name	Father's/Husband's Name	Date of birth	Qualification	Trained	Teaching Experience	Teaching Class	Subject	Date of appointment	Remarks
1	Homnath Paudyal	Devi Prasad Paudyal	01-04-1984	M.A. English	B.Ed	6 Yrs.	9, 10, 11, 12	English & Business Management	01-07-2018	Principal
2	Ajanta Pandey	Late Ramjaj Pandey	18-12-1968	Msc. Maths.	B.Ed	21 Yrs.	9, 10, 11, 12	Physics	16-06-2017	Lect.
3	Jadumoni Bhandari	Mitralal Bhandari	22-01-1991	Msc. Chemistry	B.Ed	5 Yrs.	9, 10, 11, 12	Chemistry	16-06-2015	Lect.
4	Rakesh Kumar Singh	Raj Kishor Singh	20-08-1974	M.A. Hindi	D.El. Ed	13 Yrs.	9, 10, 11, 12	Hindi	16-06-2007	Lect.
5	Subodh Paul	Late Subhash Paul	22-11-1989	Msc. Botany	B.Ed	13 Yrs.	9, 10, 11, 12	Biology	16-06-2009	Lect.
6	Alpana Singh	S.S. Singh	02-07-1985	Msc. Maths.	B.Ed	6 Yrs.	9, 10, 11, 12	Maths.	16-06-2014	Lect.
7	Reena Khade	Avinash Khade	13-02-1990	Msc. Micro Bio	B.Ed	5 Yrs.	9, 10, 11, 12	Biology	16-06-2016	Lect.
8	Hari Maya Adhikari	Deonarayan Adhikari	13-08-1976	M.A. English	B.Ed	4 Yrs.	9, 10, 11, 12	English	16-06-2016	Lect.
9	Keshav Prasad	Krishna Prasad	18-08-1972	M.A.	B.Ed	16 Yrs.	9, 10, 11, 12	Hindi	01-07-2000	Lect.
10	Jibi Verghese	Late O.C. Verghese	27-11-1984	M.Com	B.Ed	13 Yrs.	9, 10, 11, 12	Accounts & English	16-06-2016	U.D.T.
11	Divya Jain	Shravan Jain	28-12-1996	M.Com		1 Year	9, 10, 11, 12	Economics & S.Science	02-07-2019	U.D.T.
12	Triveni Prasad Ram	Ramdev Ram	12-05-1979	B.Sc.	B.Ed	4 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	Science	16-06-2017	U.D.T.
13	Ansueya Jha	Pradeep Kumar Jha	22-01-1969	M.A. Sanskrit	B.Ed	16 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	Sanskrit	16-06-2016	U.D.T.
14	Ganesh Garery	Late Raja Ram Pal	01-01-1974	M.A.	D.El. Ed	14 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	S.Science	16-06-2009	U.D.T.

	Syed Quaraisha	Syed Abdul Shakoor	07-05-1980	M.A.	B.Ed	9 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	English	16-06-2012	U.D.T.
16	Basant Kujur	Late Michael Kujur	24-06-1985	M.A.	B.Ed	7 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	S.Science	16-06-2013	U.D.T.
17	Pradeep Ekka	Patras Ekka	08-05-1972	M.A.	B.Ed	13 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	S.Science	16-06-2007	U.D.T.
18	Arun Kumar	Shiv Narayan	08-08-1972	B.Sc.	B.Ed	13 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	Maths.	16-06-2007	U.D.T.
19	Deep Kumar Barman	Manindra Barman	01-03-1993	M.Sc. Chemistry	B.Ed	3 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	Science	16-06-2018	U.D.T.
20	Hemlata Pandey	Kamal Kishor Pandey	15-06-1980	M.A.	B.Ed	9 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	Sanskrit	16-06-2012	U.D.T.
21	Purnima Adhikari	Anuj Adhikari	17-09-1991	M.Sc.	B.Ed	5 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	Science	16-06-2017	U.D.T.
22	Sangeeta Tiwari	Ramdev Tiwari	05-06-1983	M.A.	B.Ed	6 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	S.St.	16-06-2014	U.D.T.
23	Rinku Upadhyay	Bidyasagar Upadhyay	10-12-1990	B.A.	B.Ed	5 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	English	16-06-2016	U.D.T.
24	Sunita Devi	Janak Sapkota	15-06-1995	B.A.	B.Ed	5 Yrs.	6, 7, 8, 9, 10	S.St.	16-06-2018	U.D.T.
25	Chandana Sirdar	Anil Kumar Sirdar	19-01-1994	M.A. (Sanskrit)	B.Ed	2 Year	6, 7, 8, 9, 10	Sanskrit	01-07-2019	U.D.T.

PRINCIPAL
Global Public Hr. Sec. School
Surajpur (C.G.) 497229

PRINCIPAL
Global Public Hr. Sec. School
Surajpur (C.G.) 497229

GLOBAL PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL, SURAJPUR

BHAIYATHAN ROAD, SURAJPUR DIST. - SURAJPUR (C.G.)

SCHOOL CODE : 742026 **UDISE CODE : 22271403912**

NON TEACHING STAFF LIST - 2020- 21

S. No.	Staff Name	Father's/Husband's Name	Date of birth	Qualification	Post	Date of appointment
1	Rabinder Kujur	Late, Polycarp Kujur	15-03-1979	12th + Polytechnic	Head Clerk	16-06-2012
2	Vijay Patkar	Gangaram Patkar	03-05-1991	B.A.	Clerk	16-06-2014
3	Ajay Mishra	R.K. Mishra	16-08-1970	B.Sc.	Lab Technician	16-06-2011
4	Mohan Kumar Pegu	Lakhindhar Pegu	03-07-1970	B.A.	Librarian	16-06-2016
5	Om Pyakurel	Krishna Prasad	01-05-1984	B.Sc.	Lab Assistance	16-06-2016

PRINCIPAL
Global Public Hr.Sec.School
Surajpur (C.G.) 497229

PRINCIPAL
Global Public Hr.Sec.School
Surajpur (C.G.) 497229

GLOBAL PUBLIC HR. SEC. SCHOOL,

BHAIYATHAN ROAD, SURAJPUR (C.G.)

School Code :- 742026
Dice Code :- 22271403912

Detail :- According to Class and Category wise, Session - 2020-21

S.NO.	CLASS	SC		ST		OBC		GEN		TOTAL		GRAND TOTAL
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	
1	NUR	0	1	2	5	11	14	6	4	19	24	**43**
2	LKG	5	1	4	5	30	22	8	11	47	39	**86**
3	UKG	3	2	6	15	41	28	9	17	59	62	**121**
4	I	4	0	14	11	46	39	19	16	83	66	**149**
5	II	3	2	16	2	53	35	27	21	99	60	**159**
6	III	1	5	22	6	64	46	10	13	97	70	**167**
7	IV	1	2	12	10	45	36	16	19	74	67	**141**
8	V	0	2	13	6	53	31	24	14	90	53	**143**
9	VI	3	2	7	10	36	31	24	13	70	56	**126**
10	VII	6	1	5	7	51	30	26	16	88	54	**142**
11	VIII	5	2	6	8	39	22	20	11	70	43	**113**
12	IX	0	5	6	3	22	21	19	21	47	50	**97**
13	X	2	2	7	6	16	16	17	9	42	33	**75**
14	XI	0	1	5	3	21	10	11	13	37	27	**64**
15	XII	1	2	0	5	11	16	14	9	26	32	**58**
TOTAL		**34**	**30**	**125**	**102**	**539**	**397**	**250**	**207**	**948**	**736**	**1684**

PRINCIPAL
Global Public Hr.Sec.School
Surajpur (C.G.) 497229

PRINCIPAL
Global Public Hr.Sec.School
Surajpur (C.G.) 497229

खाता क्र.
Account No. 3 0 7 1 0 3 4 3 8 2 3 - -

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

सावधि जमा रसीद
Term Deposit Receipt

रसीद क्र.
Receipt No.TDA/48 990401

सूरजपुर(छत्तीसगढ़) SURAJPUR(CHH.) 0576 शाखा (भारत) Branch (India)
PH.07775-266328

अहस्तांतरणीय **Not transferable**

रु. Rs. 20000=00

Received from DEO Surajpur C/o Global Public School. Surajpur. से

आज की तिथि से ______ दिन/महीने बाद ______ प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित

Payable to ______ को

देय जमा के रूप में Rupees Twenty Thousand Only. — रुपये प्राप्त हुए

As a deposit repayable 36 Days/Months after date with Interest at the rate of 8.5%. percent per annum

दिनांक Date 14/03/09 देय तिथि Due on 14/03/12

खाता बही पृष्ठ Ledger/Folio ______

पीछे दी गई शर्तों के अध्यधीन —
Subject to conditions overleaf

M. Value Rs. 25740=00

स्टेट बैंक
For State Bank of India
प्रबंधक/शाखा प्रबंधक Branch Manager

PRINCIPAL
Global Public Hr.Sec.School
Surajpur (C.G.) 497229

16

शाखा क्र. सं.
BR Sr. No.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय कार्यालय:
चन्द्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.

EMG CCTDR/AMBREG
Centr. l Bank of India
(A Government of India Undertaking)
Central Office:
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

सं. No. N 067566

सा.ज.र./
प.मृ.ज.आ./
मा / त्रै / ... /

MAHGAON M P

शाखा / Branch

TERM DEPOSIT RECEIPT

MMDC-GEN-PUB-OTH-1Y..2-INR

जारी करने की तारीख / Date Of Issue: 17/03/2011

खाता क्र. A/c No.: 3114229077

प्रभावी तारीख / Effective Date: 17/.../2011

Received from D E O SURAJPUR AC PRINCIPAL GLOBAL PUBLIC SCH 8042...

से

रुपये / Rupees Twenty Five Thousand only.

प्राप्त हुए.

अहस्तांतरणीय NOT TRANSFERABLE

मूल राशि Principal Amount	परिपक्वता मूल्य Maturity Value	अवधि Period	ब्याज दर Int. Rate	ब्याज मासिक / त्रै. किस्त Mthly/Qtly Inst of Int.	देय तारीख Due Date
25,000.00	27,394	1 Year	9.25%	0	.../2012

विशेष अनुदेश
Special Instructions

जन्म तिथि Date of Birth
यदि अवयस्क हो if Minor

नामांकन पंजीकृत किया गया Nomination Registered | हाँ Yes | नहीं No — NO

S-3146

प्राधिकृत हस्ताक्षरी / Authorised Signatory
ह.क्र. सं. / S.S. No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरी / Authorised Signatory
ह.क्र. सं. / S.S. No.

आहरण की सूचना दि. ________ को दी गई.
Notice of withdrawal given on ________

BANK WILL DEDUCT TAX AT SOURCE FROM THE INTEREST PAID / ACCRUED IF FORM 15G / 15H IS NOT SUBMITTED IN THE MONTH OF APRIL EVERY ...

PRINCIPAL
Global Public Hr. Sec. School
Surajpur (C.G.) 497229

Principal
Global Public High School
Surajpur, Surguja (C.G.)

Principal
Global Public H...
Surajpur, Surg...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

प्रारूप – "क"

घोषणा – ख

समिति समय – समय पर जारी विभागीय नियमों एवं आदेशों व ज्ञापों का आदर करेगी।

समिति निर्धारित अर्हताधारी व म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित रचनाक्रम के अनुसार कार्मचारियों की नियुक्ति करेगी।

कर्मचारियों को नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया द्वारा होगी तथा चयन समिति में एक विभागीय प्रतिनिधि रखा जायेगा।

समिति कर्मचारियों का शोषण नहीं करेगी। वेतनमानों के अनुसार वेतन अथवा भत्तें दिये जायेंगे। इनके लिये शासकी

अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। वेतन का भुगतान रेखांकित चेक से किया जायेगा।

समिति द्वारा शासन संचालन में लागू विभागीय नियम/आदेश की अवहेलना करने अथवा शपथ पत्र में असत्य तथ्य

उल्लेखित करने पर विभाग को अधिकार होगा कि वह शाला बंद कर, नियमानुसार अभियोजन की कार्यवाही करें।

विद्यालय में प्रवेश मान्यता प्राप्त संस्था की टी.सी. व कक्षा उन्नत की टी.सी. के आधार पर किया जायेगा।

कक्षोन्नति के लिये विभागीय नियमों का पालन किया जायेगा।

विद्यालय में छात्र संख्या में मान से पर्याप्त भवन, टाट पट्टी/फर्नीचर, श्यामपट, अन्य पठन–पाठन सामग्री, खेल का

मैदान सामग्री की व्यवस्था अनिवार्यतः की जायेगी।

छात्रों के लिये पेय जल, शौचालय एवं अपेक्षित स्वास्थ्यकर वातावरण की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

विभाग द्वारा निर्धारित सभी अभिलेख शाला में व्यवस्थित रखे जायेंगे।

राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्र गान व अन्य सांस्कृतिक गतिविधयों के साथ अन्य आयोजित गतिविधियों में निर्देशानुसार सहभागिता

की जायेगी।

NOTARY
B.N.TIWARI
Surajpur (Surguja)
Regd No C.G. 12

Signed before me
B.N.TIWARI
Notary
Surajpur Surguja(C.G.)

President
Global Public School
Nehru Park Road Surajpur
समिति

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–सूरजपुर छ0ग0

— : आदेश :—

क्र0/3108 / मान्यता / अनुमति / 2020–21 सूरजपुर दिनांक 24/7/2020

प्रबंधक

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप–नियम (4) के तहत् विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

आपका आवेदन पत्र दिनांक 10–06–2020 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण उपरान्त **ग्लोबल पब्लिक स्कूल सूरजपुर, वि0ख0 सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)** को **कक्षा नर्सरी से 8वीं तक नवीनीकरण / नवीन मान्यता / अनुमति** एक वर्ष की अवधि के लिए जो **01–04–2020 से 31–03–2021** तक प्रभावशील रहेगा, **(सशर्त)** अस्थाई मान्यता / अनुमति / नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 विद्यालय के लिए बंधनकारी रहेगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1ली की दर्ज संख्या तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. सोसायटी / विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का उसके माता पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण–पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   - I. प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
   - II. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जावेगी।
   - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
   - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - V. कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता / विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
   - VI. शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम सहित नियुक्त किए जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।
   - VII. शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के खण्ड 23 (3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप नियम (1) के तहत् राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।

VIII. शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।

8. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।

9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा। विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानको को बनाए रखेंगे।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।

11. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासयी उददेश्यों को छोडकर) या राजनीतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।

12. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत् पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत् समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।

13. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।

14. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए ओर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।

15. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नम्बर 121 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे कृपया अंकित किया जाए।

16. विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों ओर प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है ओर मान्यता की शर्तों की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरचण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।

17. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाए।

18. अन्य शर्तों एनेक्सर के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सूरजपुर

पृ०क्र० 3109 /मान्यता/अनुमति/2020-21, सूरजपुर, दिनांक 24/7/2020

प्रतिलिपि,

1. नोडल प्राचार्य शास० कन्या उ०मा०वि० **सूरजपुर** को सूचनार्थ।
2. सहा० विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी **सूरजपुर** को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी

प्राचार्य कार्यालय ग्लोबल पब्लिक स्कूल,
भैयाथान रोड, सूरजपुर (छ.ग.)

दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्लोबल पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल शासकीय विद्यालय शास. बा. उ. मा. विद्यालय एवं शास. क. उ. मा. विद्यालय क्रमशः दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

PRINCIPAL
Global Public Hr.Sec.School
Surajpur (C.G.) 497229

Principal
Global Public High School
Surajpur

Principal
Global Public High School
ग्लोबल पब्लिक हाई स्कूल,
सूरजपुर (छ.ग.)